लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 329
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

कारबी भाषा

†329. श्री राजा राम सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम राज्य के अनेक भागों तथा देश के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रुप से बसी हुई कारबी जनजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी मांग की जा रही है कि रोमन लिपि को कारबी भाषा की लिपि के रुप में प्रयोग करने पर विचार करते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए;

(ग) क्या सरकार और राजभाषा विभाग ने रोमन लिपि को अपनी लिपि के रुप में प्रयोग करने पर विचार करते हुए कारबी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और समय निर्धारित किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 'कारबी' असम की अनुसूचित जनजाति सूची में सूचित है। जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार, कुल 5,28,503 लोग कारबी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जिनमें से 5,11,732 लोग असम में, 14,380 मेघालय में, 1,536 अरुणाचल प्रदेश में, 584 नागालैंड में और 107 मणिपुर में रहते हैं।

(ख) से (घ): 'कारबी' सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के

माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

*****